

फॉर्म - 11

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 15 देखें)

राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन मृतक जमाकर्ता के खाते का नामिति अथवा विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा निपटान करने हेतु आवेदन

सेवा में,

पोस्टमास्टर / प्रबंधक

.....

1. मैं / हम.....स्वर्गीय.....जो.....(योजना का नाम) के तहत खाता संख्याके जमाकर्ता थे, के नामिति(यों)/विधिक उत्तराधिकारी, उक्त खाते में मृतक के नाम से जमा समग्र राशि को आहरित करने के लिए आवेदन करता हूं/ करती हूं/ करते हैं. अपने दावे के समर्थन में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूं/ करती हूं/करते हैं :-

1. जमाकर्ता(ओं) का मृत्यु प्रमाणपत्र.
2. जमाकर्ताओं द्वारा नियुक्त नामिति(यों) श्री/श्रीमती..... का भी मृत्यु प्रमाणपत्र.(***)
3. सक्षम न्यायालय.....द्वारा जारी मृतक जमाकर्ता के इच्छापत्र की अभिप्रमाणित प्रति सहित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र / प्रशासन का पत्र.(**)
4. क्षतिपूर्ति पत्र(*).
5. शपथ पत्र(*).
6. शपथ पत्र पर अस्वीकरण पत्र(*).
7. पास बुक/जमा रसीद/खाता विवरणी.

दावेदार/दावेदारों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
पता.....

(अंगूठे का निशान लेखा कार्यालय द्वारा ज्ञात व्यक्ति के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

दिनांक

(*) रु. 5 लाख तक के दावों के लिए नामांकन के अभाव में, विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा.

(**) यदि वैध नामांकन है, तो काट दें.

(***) यदि लागू नहीं, तो काट दें.

कार्यालय के उपयोग के लिए

रु.....(रूपए.....मात्र) की स्वीकृत दी गई.

पोस्टमास्टर / प्रबंधक के हस्ताक्षर

दिनांक:-

निस्तारण

(दावेदार/ दावेदारों द्वारा भरा जाए)

रु.(अंकों में).....(शब्दों में) मेरे/ हमारे दावे का पूरा निपटान के फलस्वरूप खाता संख्यामें अंतरण / नकद/चेक /डीडी संख्याद्वारा दिनांकको प्राप्त किए.

दिनांक:-

दावेदार/दावेदारों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान